ऑनर किलिंग

Honour Killing

B.A. III - Paper - 10 - Model - 4 -
C] Honor Killing - ऑनर किलिंग

- सगोत्र एवं प्रेम विवाहों के विरुद्ध खाप पंचायतों द्वारा फरमान जारी कर प्रेमी युगलों की हत्या का कृत्य ऑनर किलिंग कहलाता है।
- झूठी शान या मानरक्षा के नाम पर ये खाप पंचायतें सगोत्र विवाह एवं अन्तरजातीय विवाह का घोर विरोध करती हैं।
- खाप पंचायतें हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करवाकर सगोत्र विवाह को अवैध घोषित कराने की मांग कर रही हैं।
- उत्तरी भारत विशेष रूप से हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन परम्परागत सामंती खाप पंचायतों का वर्चस्व है।
- समाजशास्त्रीय अध्ययनों में मानरक्षा हत्याओं के पीछे पुरुष-सत्तात्मक सामाजिक संरचना एवं सामंती रूढ़िवादी परम्पराओं की भूमिका के कारण इन्हें कस्टोडियल किलिंग (Custodial Killing) कहा गया है।
- ऑनर किलिंग से निपटने के लिए कड़े कानूनों के साथ-साथ रूढ़िवादी दकियानूसी मान्यताओं में सकारात्मक बदलाव लाने की ज्यादा आवश्यकता है।
- आधुनिकीकरण एवं परिवर्तन के दौर में हरियाणा की *सतरोल खाप पंचायत* एवं *सांगवान चालीसा खाप* पंचायत ने अन्तरजातीय विवाहों को मान्यता दे दी है।

Scanned with CamScanner

हमारा समाज बहुलवादी है। हमारी मजबूती एक ऐसे राष्ट्र राज्य के रूप में है, जिसका सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा उदार और प्रगतिशील है। हमारी सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी आदि भी समसामयिक दृष्टिकोण से उन्नत एवं प्रगतिशील हैं। इसी के फलस्वरूप हमारे व्यक्तिगत मामलों में (विधायन) अंतरजातीय और अन्तरधार्मिक विवाहों को मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में ऑनर किलिंग की अनेक वीभत्स एवं बर्बर घटनाओं ने पूरे समाज और राष्ट्र को झकझोर दिया है। एक ही गोत्र में (सगोत्र) विवाह करने या अभिभावकों और जातीय-पंचायतों (**खाप-पंचायत**) की मर्जी के खिलाफ प्रेम करने से पूरी बिरादरी, जाति या समुदाय के भीतर सामाजिक-अनादर की भावनाएं भड़कती हैं। फलस्वरूप इसके नतीजे अपने ही युवक-युवतियों की निर्मम हत्या के रूप में सामने आए। ये घटनाएं उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुई हैं, जहां परम्परागत सामंती खाप-पंचायतों का वर्चस्व है।

खाप-पंचायतें अपने झूठी इज्जत या शान या मानरक्षा की एवज में **सगोत्र विवाह** एवं प्रेम करने वाले युवाओं की निर्मम हत्याओं के जरिये समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, यह समझ से परे है। ऑनर किलिंग के शिकार हुए एवं अन्य सगोत्र एवं प्रेम-विवाह करने वाले सैकड़ों युवक-युवती या तो जाति से बाहर कर दिए जाते हैं या खाप-पंचायतों और बिरादरी के तानाशाहों के डर के साये में जी रहे हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं के संदर्भ में लोगों के डांवाडोल हुए विश्वास को विधि एवं कानूनों के जरिये कायम रखना जरूरी हो गया है ताकि सभ्य समाज में न्याय का बोध बना रहे। अब हद तो यहां तक हो गई है कि खाप-पंचायतें हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करवाकर सगोत्र-विवाह को अवैध घोषित कराने की मांग कर रही हैं।

गोत्र-प्रणाली का उद्‌भव मूलरूप से आठ ऋषियों की परम्परा के माध्यम से हुआ है। गोत्र एक कुल या क्लोन के समान है जिसे एक हिंदू जन्म से प्राप्त करता है। शाब्दिक रूप से गोत्र का अर्थ गायों को इकट्टे रखने वाले स्थान से है। एक विशेष समूह जो गायों के एक झुण्ड पर अपना कब्जा कायम रखता था उसे एक गोत्र या कुनबा नाम दिया जाता था। मध्यकालीन युग में गोत्र और समुदाय के आधार पर 84 गांवों को एक इकाई के रूप में संगठित किया जाने लगा था जिसका मूल उद्‌देश्य भौगोलिक एवं राजनीतिक असुरक्षा पर काबू पाना था। कालांतर में इस तरह की पंचायतें खाप पंचायतें कहलाई जाने लगीं। 84 गांवों के समान बिरादरी के लड़के-लड़कियां परस्पर भाई-बहन माने जाते थे। उनमें सगोत्रीय विवाह निषेध था, जिसका आधार **विज्ञानेश्वर** द्वारा लिखित हिंदू धर्मग्रंथ **मिताक्षरा** को माना जाता था, जिसमें सगोत्र, सपिण्ड एवं समान प्रवर के व्यक्तियों में परस्पर विवाह निषेध बताया गया है।

हमारे देश में **खाप-पंचायतों** का अस्तित्व काफी पुराना है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत-रामायण काल में भी इनके वजूद के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन एवं मध्यकाल में इन्हें न्याय एवं ग्रामीण शासन की आदर्श इकाई माना जाता था। शाब्दिक रूप से खाप का अर्थ है – आकाश की तरह सर्वोपरि एवं पानी की तरह निर्मल। खाप = ख (आकाश) + आप (पानी) अर्थात आकाश की भांति सार्वभौमिक तथा जल की भांति स्वच्छ एवं न्यायकारी। भारत में जाट समुदाय की करीब 3500 खाप-पंचायतें अस्तित्व में हैं। **लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी** द्वारा ऑनर किलिंग पर आयोजित सेमिनार में यह तथ्य सामने आया कि झूठी शान के नाम पर होने वाली ये हत्याएं हिन्दुस्तान के अलावा एशिया के दूसरे देशों में भी होती हैं। इनमें पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम देश शामिल हैं। दुनियाभर में हुए अध्ययनों से यह रुझान सामने आया है कि अनपढ़ गंवार ही नहीं पढ़े-लिखे लोग भी मानरक्षा के लिए हत्याओं में शामिल रहे हैं।

Scanned with CamScanner

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष पूरी दुनिया में लगभग पांच हजार लोग ऑनर किलिंग के नाम पर मारे जाते हैं। शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष करीब एक हजार युवक-युवतियां मानरक्षा के नाम पर जान से हाथ धोते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार सामंती, धार्मिक एवं पुरुष सत्तात्मक समाज की प्रवृत्तियों के मुताबिक स्त्री सदैव किसी न किसी की अभिरक्षा में रहती है। जैसे ही वह इस अभिरक्षा रूपी पुरुष वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश करती है, दकियानूसी रूढ़िवादी संस्थाएं समाज-परिवार की मानरक्षा के नाम पर उनकी हत्या तक करने में नहीं हिचकती हैं। यही कारण है कि समाज विज्ञानी अब ऑनर किलिंग को **अभिरक्षा हत्या** (Custodial Killing) कहने लगे हैं।

आज रूढ़ियों में जकड़े समाज को यह समझाने की आवश्यकता है कि हत्या जैसे कार्यों में सम्मान या शान जैसी कोई बात नहीं है (There is no honour in Killing)। वैश्वीकरण, सूचना एवं जनसम्पर्क क्रांति तथा स्वचालितीकरण वाले आधुनिक युग में मानरक्षा के नाम पर की जाने वाली हत्याएं कलंक के समान हैं। आज जहां सहजीवन (लिव-इन-रिलेशनशिप), सहमतिपूर्ण साहचर्य, समलैंगिकता (गे एवं लेस्बियन), **ट्रांस-जेन्डर** की चारों ओर हवा बह रही है वहीं हम उलटे सामंतवादी दकियानूसी सोच की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका द्वारा एक वयस्क के विवाह करने के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के साथ एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।

माननीय उच्चतम-न्यायालय ने हाल ही में दिए ऐतिहासिक निर्णय में (भगवान दास मामला) खाप-पंचायतों को अवैध तथा उनके द्वारा की जा रही ऑनर किलिंग के नाम पर बर्बर हत्याओं को सामंती एवं शर्मनाक बताया है। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू एवं जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की खण्डपीठ ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि 'हरियाणा की **खाप पंचायतें** एवं तमिलनाडु की **कट्टा पंचायतें** लोगों की निजी जिंदगी में दखल दे रही हैं। इन्हें तत्काल खत्म करके इनके स्वयंभू मुखियाओं के विरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया अमल में लानी चाहिए। इसके लिए प्रशासन व पुलिस को जवाबदेह बनाकर कड़े उपाय करने होंगे। ऑनर किलिंग की हत्याओं को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में रखकर हत्यारों को मौत की सजा दी जानी चाहिए।'

ऑनर किलिंग को व्यक्तिगत अपराध के बजाय एक सामाजिक खतरे में रूप में देखना चाहिए। वर्ष 1986 में दहेज हत्या तथा सती-प्रथा के रूप में सामाजिक संकट उभर कर सामने आए थे। दहेज हत्या को रोकने के लिए IPC में धारा 304B जोड़कर, मामलों को कड़ाई से निपटाया जाकर सामाजिक-आपराधिक बुराई पर अंकुश पाया गया। इसी प्रकार सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 को पूरे देश में लागू कर सती प्रथा को महिमामंडित करने वाले और दुष्प्रेरकों को कड़े दंड का प्रावधान किया गया। यह कानून समय की कसौटी पर खरा उतरा तथा परम्परागत सोच वाले समाज के मानस में भी बदलाव लाने में सफल रहा। अतः अब समय आ गया है जब ऑनर किलिंग को रोकने के लिए भी सख्त से सख्त प्रावधान किए जाएं।

प्राचीन समय में जहां पंच-परमेश्वर और पंचायतें न्याय के स्रोत और न्याय के मंदिर हुआ करते थे, वही आज अपनी झूठी शान के नाम पर खाप-पंचायतें और बिरादरी पंचायतें न केवल प्रेम करने वाले युवाओं की हत्याएं करा रही हैं अपितु उनके परिजनों एवं सहायकों को भी खुलेआम नंगा करके पिटाई, बेइज्जती, हुक्का-बंदी, जात-बाहर करने की कलंकात्मक तुगलकी कार्यवाही कर रही हैं। ऑनर किलिंग की घटनाएं कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के साथ-साथ न्यायपालिका और पुलिस के ऊपर अनावश्यक दबाव बढ़ा रही हैं। इस प्रकार की अप्रगतिशील एवं असामाजिक घटनाएं लैंगिक अनुपात में गिरावट के साथ-साथ

Scanned with CamScanner

कन्याभ्रूण हत्या, युवा असंतोष, युवाओं के मध्य कुंठा, मादक-द्रव्य-व्यसन, अन्तरपीढ़ीय तनाव, संघर्ष, नशा एवं लैंगिक अपराधों के लिए भी उत्तरदायी हैं।

भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने हाल ही में आई.पी.सी. की धारा 300 में प्रस्तावित संशोधन की सिफारिश की है, इसमें खाप-पंचायतों द्वारा की जाने वाली ऑनर किलिंग को हत्या के अपराध में शामिल किया गया है। इसी प्रकार साक्ष्य विधि में संशोधन करके सबूत का भार अभियुक्त (हत्यारों) पर डाला जाता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भी विवाह पंजीकरण से पूर्व 30 दिन के नोटिस की बाध्यता को समाप्त करने की सिफारिश की है, जो सराहनीय प्रयास है। इस प्रकार हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, राजनीतिक एवं मानवशास्त्रीय तरीके अपनाकर ऑनर किलिंग जैसी असामाजिक, आपराधिक कुप्रथाओं को रोकने के समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है।

झूठी शान के नाम पर हत्या (Murder as to Save Pseudo Esteem)

ऑनर किलिंग अर्थात सम्मान रक्षा के नाम पर हत्या की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने एक विधेयक लाने का निर्णय किया है। विधेयक जल्दी ही संसद में पेश किया जा सकता है। इसकी तैयारी में सरकार, उसकी सम्बंधित एजेन्सियां और राष्ट्रीय विधि आयोग भी जुट गया है। वास्तव में हालात इतने भयावह हो गए हैं कि इससे हमारी राष्ट्रीय चेतना डगमगाने लगी है और पूरा देश चिन्तन-मनन करने लगा है कि इससे निपटने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। सामाजिक परंपराओं के संदर्भ में लोगों के डावांडोल हुए विश्वास को कायम रखना जरूरी है, ताकि सभ्य समाज में न्याय का बोध बना रहे। कहना न होगा, 'ऑनर किलिंग' की वजह से विश्व समाज में एक सभ्य राष्ट्र या समाज के रूप में हमारे दावे के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि, इस तरह की हत्याएं भारतीय दंड संहिता की **धारा 302** के तहत आती है और इसे आपराधिक मानव वध की श्रेणी में ही गिना जाता है। फिर भी, इसे अलग से 'ऑनर किलिंग' के रूप में देखने की जरूरत है।

यह माना जाता है कि हरेक आपराधिक कृत्य या अपराध के मूल में आपराधिक मानसिकता होती है। सामान्यतः अपराध के पीछे यही कारण भी होता है। इस बात के कई उदाहरण हैं कि अपराधी स्वयं ही अपराध बोध से निकलने के लिए अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। यह भी समझा जाता है कि सजा का उद्देश्य अपराधी का सुधार करना होता है, ताकि वह समाज की मुख्य धारा में लौट सके।

ऑनर किलिंग की घटनाओं के मूल में सामाजिक अनादर की भावनाओं का चरम पर होना है। इस क्रूरतम अपराध के पीछे शत्रुता, प्रतिद्वंद्विता या लोभ नहीं है, जो सामान्य तौर पर हत्या की घटनाओं के लिए जिम्मेदार तत्व होते हैं। इस प्रकार ऑनर किलिंग के अपराध को परिभाषित करने की जरूरत है। इस जघन्य अपराध में उन सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जो इस कृत्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से भागीदार बनते हैं।

इसके अलावा उन लोगों को भी दंडित करने की जरूरत है, जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की हो या उसकी छूट दी हो। प्रस्तावित विधेयक में यह भी हो कि सबूत का दायित्व अभियुक्त पर सौंपा जाए, ताकि वह यदि निर्दोष है, तो साबित करे। इस तरह के गम्भीर अपराधों की सुनवाई विशेष अदालतों में होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी प्रावधान होना चाहिए कि जो कृत्य प्रस्तावित विधेयक में अपराध के तहत नहीं आता हो, उसे रोकने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाए कि वे इसे रोकने के लिए विशेष उपाय अपना सकें। ऑनर किलिंग के लिए बदनाम इलाकों में जिलाधिकारियों के व्यवस्था बनाए रखने सम्बंधी आदेशों के उल्लंघन को अपराध करार दिया जाए।

Scanned with CamScanner

ऐसे इलाकों में समझाइश की व्यवस्था पर भी विचार किया जाए, ताकि तनाव को घटाया जा सके। लेकिन समझाइश और उसके बाद कड़ाई से कानून लागू करने के बीच की रेखा भी स्पष्ट होनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि समझाइश का दायरा कहां तक हो और सख्त कार्रवाई की शुरुआत कहां हो? प्रस्तावित कानून में समझाइश, निरोध और दंड तीनों की व्यवस्था होना जरूरी है तभी ऑनर किलिंग को रोकने में सफलता मिलेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में खाप पंचायतों को अवैध एवं बर्बर बताया है और उनके द्वारा जारी किए जाने वाले फतवे और झूठी इज्जत सम्बन्धी निर्णयों को सामन्ती एवं शर्मनाक बताया है। न्यायालय के अनुसार हरियाणा की खाप पंचायतें और तमिलनाडु की कट्टा पंचायतें लोगों की निजी जिन्दगी में दखल दे रही हैं, इन्हें तत्काल बन्द कर इनके स्वयंभू मुखियाओं के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। प्रशासन और पुलिस को ऐसे मामलों में सख्ती से निपटते हुए कड़े उपाय करने चाहिए।

खाप पंचायतों द्वारा अन्तरजातीय विवाह को मंजूरी (Sanction of Inter-Caste Marriage by Khap-Panchayats)

हरियाणा की ***सतरोल खाप पंचायत*** ने अब बदलती परिस्थितियों में अन्तरजातीय विवाह को मान्यता देने का फैसला किया है। सतरोल खाप के दायरे में 42 गांव आते हैं। इसी प्रकार भिवानी जिले की ***सांगवान खाप पंचायत*** ने अन्तरजातीय विवाह के साथ-साथ अन्तरधार्मिक विवाह को भी मंजूरी दे दी है। इन खाप पंचायतों में यह बदलाव सेवानिवृत्त फौजियों के प्रयासों की बदौलत सम्भव हुआ है। यद्यपि चौटाला गांव की खाप में अन्तरजातीय एवं गांव-गवांड के अन्दर होने वाले विवाहों को पहले से ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौर में परम्परागत संस्थाओं में ऐसे सुधारवादी निर्णय निश्चित ही नागरिक समाज की स्थापना की दिशा में अहम हैं।

Scanned with CamScanner